राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :— 20/2022

निर्णय दिनांक :— 16.4.2024

प्रार्थी :—

शिवराम पुत्र पुखराजजी, आयु—70 वर्ष, जाति—गरूडा
निवासी—खारीया सोढा, तहसील—सोजत, जिला—पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :—

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

—:प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955:—

उपस्थिति:—

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरेन्द्रसिंह तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

दिनांक :— 16.4.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम लांपी के खाता संख्या 178 जमाबंदी सम्वत् 2073—76, खसरा नम्बर 646 की जमाबंदी मय भू—नक्शा, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 746/647 रकबा 0.3200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अनुसार पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/467 दिनांक 30.11.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 26.03.2024 को मौका जाचं रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2024/592 दिनांक 26.03.2024 के जरिये पटवार हल्का लाम्पी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक डायलानाकंला से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि मौजा ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 746/647 रकबा 0.3200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि प्रार्थी वर्तमान में अपनी कृषि भूमि में आवागमन एनीकट की पाल से करता है।
3. प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर में से 204 x 4 = 816 वर्गमीटर भूमि की मांग की है।
4. यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मार्ग हेतु उपलब्ध नहीं है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में अंग्रेजी बबुल खडे है। अन्य वृक्ष, फसल नहीं है।
6. यह कि प्रार्थी को ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में रास्ता दिया जाने पर कुल 204 x 4 = 816 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी, जो रास्ता दिया जाना उचित है।
7. ग्राम लांपी की असिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 154097/– रूपये प्रति हेक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर से प्रभावित रास्ते ग्राम लांपी का रकबा 816 वर्गमीटर की राशि रूपये 12575/– बनती है, जिसकी दोगुना राशि रूपये 25150/– बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने रास्ते हेतु अनुशंषा कर अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर सिवायचक भूमि में से नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार कुल 204 x 4 = 816 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि मौजा ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 746/647 रकबा 0.3200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने – जाने हेतु राजकीय सिवाचयक भूमि ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर में से 816 वर्गमीटर नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 25150/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान राजकोष में जमा करना होगा। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 816 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 25150/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम लांपी के खसरा नम्बर 746/647 रकबा 0.3200 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लांपी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.9800 हेक्टर में से कुल 204 x 4 = 816 वर्गमीटर रास्ता माठ के सहारे–सहारे नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 16.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner